आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.7(4) ऑनलाईन / आकाशि / अकाद / 2019–20 / 1784 दिनांकः 04.06.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट्स के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषयः–सत्र 2020–21 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में।
संदर्भः– पूर्व पत्र क्रमांक एफ.7(4) ऑनलाईन / आकाशि / अकाद / 2019–20 / 1782 दिनांक 28.5.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगा।

क.सं.	महाविद्यालय	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	समस्त राजकीय महाविद्यालय	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	15.06.2020 से 30.06.2020
2.	सत्र 2019–20 में खोले गये 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय	सत्र 2019–20 में प्रवेशित स्नातक पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में अद्यतन करना तथा सत्र 2020–21 में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए मास्टर एन्ट्रीज पूर्ण करना।	05.06.2020 से 20.06.2020 तक
3.	समस्त राजकीय महाविद्यालय	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में अध्यापन कार्य आरम्भ	01.07.2020 (यह तिथि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लागू होगी।)

बिन्दु सं0 2 के अन्तर्गत सत्र 2019–20 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालय में ऑनलाईन प्रवेश एवं प्रवेश नवीनीकरण हेतु निर्देश :–

(अ) नवीन महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 में स्नातक पार्ट प्रथम में ऑफलाईन प्रवेश दिया गया था। इन महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय में पूर्णतया अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण के लिए स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेशित विद्यार्थियों का डाटा निर्धारित प्रकिया के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में इन्द्राज करना होगा। इसके लिए यूजर मेन्युअल महाविद्यालय के ईमेल पर प्रेषित कर दिया है।

(ब) सत्र 2020–21 में इन नवीन महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम में ऑनलाईन प्रवेश होंगे, जिसके लिए स्नातक पार्ट प्रथम से सम्बन्धित मास्टर्स की एन्ट्री ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में करनी आवश्यक है। यह प्रकिया बिन्दु (अ) के पूर्व सम्पन्न करनी आवश्यक है। यह प्रकिया भी यूजर मेन्युअल में स्पष्ट कर दी गई है।

उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए ई–मित्र पर जमा की गई फीस उनके सम्बन्धित नोडल राजकीय महाविद्यालय के ऑनलाईन बैंक खातों में निर्धारित प्रकियानुसार हस्तान्तरित की जायेगी इसलिए ये नवीन महाविद्यालय स्प्रेडशीटAdmission 2020-21 के सम्बन्धित कॉलम में अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय का ऑनलाईन बैंक खाते की सूचना प्राप्त कर भरे। साथ ही सम्बन्धित नोडल राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन राजकीय महाविद्यालयों को इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रवेशित छात्रों के दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित बीमा प्रीमियम व अप्रवेशित छात्रों की फीस लौटाने सम्बन्धी प्रकिया में त्वरित कार्यवाही करने के लिए पूर्ण समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिन्दु सं0 1 के अन्तर्गत उक्त नवीन महाविद्यालय सहित समस्त महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए पूर्णतया अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रकिया पूर्ण करनी होगी जिसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को बिना परीक्षा / परीक्षा परिणाम का इंतजार किये अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रकिया पूर्ण करनी होगी तथा इस प्रकिया को महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा गत वर्ष की भांति ई–मित्र पर पोस्ट किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को ई–मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डाटा निर्धारित तिथि तक आवश्यक ऑनलाईन प्रकिया पूर्ण कर ई–मित्र पर पोस्ट हो जाये तथा विद्यार्थियों को ई–मित्र पर फीस जमा कराने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से / इलेक्ट्रोनिक मीडिया / सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से प्रसारित –प्रचारित करते हुए अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा का प्रीमियम विद्यार्थी के प्रवेश हेतु फीस जमा कराने के तुरन्त बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमा करवाना सुनिश्चित करें जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का बीमा कवर अतिशीघ्र प्रारम्भ हो जाये।

ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के कियान्वयन में होने वाली सम्भावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के डा. पंकज माथुर (9414336126) (नोडल अधिकारी–ऑनलाईन एडमिशन) / श्री संदीप कुमार (9829066259) / श्री बनफूल अग्रवाल (0141–2706106) से कार्यालय समय में दूरभाष नम्बर या ई मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रकिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हये समय–सारणी अनुसार प्रकिया सम्पन्न करावें। समस्त प्रकिया में राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्णतयः पालना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिक विभाग को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही एवं ई–मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा